

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(8)राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 12/05/2026

—:: आदेश ::—

श्री मनोज शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक क्रमशः AG/2169 एवं AG/2150 दिनांक 28.04.2026 के क्रम में उनके पूर्व जूनियर अधिवक्ता श्री सांवर मल शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक— आर/556/2019) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1077/2022) को दिनांक 28.04.2026 से उनकी सहायतार्थ उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की जाती हैं—


**सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:—**

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंभा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंभानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों को ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हों।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

हो  
(राघवेन्द्र काछवाल)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी—I, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश पुनेठा)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)